

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11012024-251295
SG-DL-E-11012024-251295असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 11, 2024/पौष 21, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 377
No. 10]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2024/PAUSHA 21, 1945	[N. C. T. D. No. 377

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIश्रम विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 10 जनवरी, 2024

फा. सं. 1/31/1136/एलसी/स्था./भर्ती नियम/प्रयो.तक./2023/6759—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सरकार की दिनांक 11.12.1981 की अधिसूचना सं. फा. 2(63)/81—एस II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “प्रयोगशाला तकनीशियन” के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को “प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती नियमावली, 2023” कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
 - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या किसी अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	प्रयोगशाला तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	:	01* (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह-‘ग’
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-04 (रुपये 25500-81100 /—)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदान्ति द्वारा या पतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्तों या सांविधिक संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी :- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-03 में नियमित आधार के पद पर नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई 5 वर्षों की सेवा सहित; अथवा (ख) निम्नलिखित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले – 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से विज्ञान विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला तकनीशियन में डिप्लोमा। (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि में केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों (03) से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।)
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।	:	लागू नहीं
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,
विजय चांदना, उप श्रम आयुक्त (प्रशासन)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th January, 2024

F. No. 1/31/1136/LC/Estt./Rectt.Rules/LabTech/2023/6759.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F.27/59-Him (i) dated 13th July, 1959 and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of this Government's Notification No. F.2(63)/81-S.II dated 11.12.1981 except as respects, things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Laboratory Technician** in the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. Short title and commencement:

- i) These rules may be called "Laboratory Technician" Recruitment Rules, 2023.
- ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Pay Level in the Pay Matrix:** The number of the said posts, their classification and level of pay in Pay Matrix shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.:** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.
4. **Disqualifications:** No person,
 - a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

Saving: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of post	Laboratory Technician
2.	No. of Posts	01* (2023) * Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'C'
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-04 (Rs. 25500-81100) in the Pay Matrix
5.	Whether selection post or non- selection post	Not Applicable
6.	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
9.	Period of Probation, if any	Not Applicable
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Deputation (including short-term contract)
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation (ISTC): Officers of the Central Government, State Government, Union territories, Autonomous or Statutory Organization,

		PSUs, University or Recognized Research Institution: a) i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or ii) With 5 years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-03 of pay matrix in the parent cadre or department; or b) Possessing following qualifications and experience: 1. 12th pass from a recognized Board/ Institution with Science subjects. 2. Diploma in Laboratory Technician from a recognized institution. (Period of Deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or another organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 03 years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.)
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Not Applicable
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

VIJAY CHANDNA, Dy. Labour Commissioner (Admn)